प्रक. 3/2022 (2022/11)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भागवाननाथ बनाम नन्दनाथ जोगी नि. सज्जनपुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/22	पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का गंभीरता से अवलोकन करने पर पाया कि प्रा० पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी- गणो की पैतृक होकर मोरूसी संपति/ जायदाद है प्रा० पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के पिता नशे का आदी है एवं प्रार्थीगणो की माता गंगादेवी को भी त्याग रखा है, भरण पोषण भी नही करते है तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमियो को खुर्द-बुर्द कर जायज हक से महरूम करना चाहते है। विपक्षी इसी गरज से भूमाफियों से मिलकर सौदा करते रहते है जिससे भूमि कभी भी विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल कर सकते है तथा इस बाबत प्रार्थीगण को धमकी भी दी है कि भूमि पर खेती मत करना क्यो कि भूमि विपक्षी के नाम पर है तुम कुछ नही बिगाड़ सकते हो। प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 के तहत न्याया० मे पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जो अवश्य डिक्री होगा। अधिवक्ता की बहस अनुसार प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है अगर विपक्षी अपने नाम दर्ज भूमि का फायदा उठाते हुये विक्रयकरदी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:26 IST
Reason: SelfAttested

प्र०सं. 3/2022 (2022/11)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
	आदेश	
	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम गलवा की वाद-वर्णित भूमि आ.नं. 82 से 89, 118, 121, 125 से 172, 198, 199 कुल किता 60 रकबा 17-92 हेक्टेयर मे विपक्षी के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी क्रमांक। वाद वर्णित भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बय बक्सीस या अन्य किसी तरीके से स्थानांतरित नहीं करे तथा प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की नाजायज दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न अन्य से करावे। रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।	
	13/05/2022 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:26 IST
Reason: SelfAttested